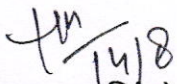
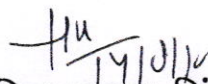


आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
14.08.2018	Board of Revenue, Bihar, Patna Service Appeal Case No.-08 of 2018 Dist.: - Patna PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S., Chairman-Cum-Member. Om Prakash Ram - Petitioner/ Appellant Versus The State of Bihar & Ors. - Respondent/ Opp. Party <i>Appearance :</i> For the Petitioner : Sri Rajeev Shekhar For the OP : <u>ORDER</u> अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग उपस्थित। प्रशाखा पदाधिकारी गृह (कारा) विभाग उपस्थित। दिनांक- 18.07.2018 को सामान्य प्रशासन विभाग को प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया की प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उन्होंने ससमय संचिका उपस्थापित किया मगर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा संचिका में निदेश दिया गया कि अवकाश से लौटने तथा योगदान प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उपस्थापित करें। अतः उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने वरीय पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन किया। प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया (prima facie) ये लगता है कि इस मामले में श्री राम से अधिक दोष प्रशाखा पदाधिकारी का है। साथ ही एक	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	ही गलती के लिए दो या उससे अधिक कर्मी दोषी हो तो सबसे वरीय कर्मचारी/पदाधिकारी का जो संचालन पदाधिकारी होगा वहीं सभी कर्मचारी/पदाधिकारी का संचालन पदाधिकारी होना चाहिए। अपीलार्थी को दिया गया दंड अनुपातिक (Proportionate) नहीं है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग (अनुशासनिक प्राधिकार) को यह निदेश दिया जाता है कि मामले में पुनर्विचार कर Fresh Oder पारित करें। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	